F.-1/एकीकृत जांच फार्म–1
पृष्ट – 1

FIRST INFORMATION REPORT
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1.District(जिला)..चूरू.P.S(थाना)..**सीपीएसजयपुर**Year(वर्ष).2022..FIRNo.(प्रसूरिस)....327/22....Dateदिनांक)..24/8/22

2. (i) Act (अधिनियम)..भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन2018)अधिनियम Sections(धाराऐं). .... 7...............

(ii) Act (अधिनियम)........... .... Sections (धाराऐं).................. ....

(iii) Act (अधिनियम)...........................Sections (धाराऐं)...

(iv) Other Acts & Sections (अन्य अधिनियम एवं धाराऐं) ....

3.(a)(क) Occurrence of offence(घटना का)Day(दिन)..Date from(दिनांक से) Yr 2022 Date 23.8.2022 to (दिनांक तक) Time Period (पहर)....8.50 AM....Time From(बजे से) .....Time to(बजे तक (b)(ख)Information received at P.S.(थाने पर प्राप्त सूचना) .....Date (दिनांक) .... Time(समय). (c)(ग)General Diary Reference (रोजनामचासन्दर्भ)..Entry No(प्रविष्टि संख्या)432Time(समय)..5.00 PM.

4. Type of Information (सूचना कैसे प्राप्त हुयी) . Written/Oral (लिखित/मौखिक) .....लिखित......

5. Place of Occurrence(घटना स्थल का ब्योरा)

(a)(क) Direction and distance from PS(थाने से दिशा एवं दूरी) 65 KM दक्षिण–पश्चिम .Beat No (बीट संख्या)

(b)(ख) Address (पता) .. पुलिस चौकी बीरमसर के सामने होटल महर्षि राज पुलिस थाना रतनगढ।

(c)(x) In case outside the limit of this Police Station then (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तक उस)

Name of PS (थाने का नाम) .... District (जिला) ....

6. Complainant/Informant (शिकायतकर्ता/इत्तला देने वाला)

(a)(क) Name (नाम) .....श्री सुरेश कुमार...

(b)(ख) Father`s/Husband`s Name (पिता/पति का नाम) ... श्री सुखाराम जाट.......

(c)(ग) Day/Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष)...26 YR...(d)(घ) Nationality(राष्ट्रीयता) ..भारतीय..

(e)(ड़) Passport No (पासपोर्ट संख्या) ....

date of Issue (जारी करने की तिथि) .... Place of Issue (जारी करने का स्थान) ....

(f)(च) Occupation (व्यवसाय).. खेती ... ..

(g)(छ) Address (पता) निवासी सेहला तह0 रतनगढ जिला चूरू।

7. Details of know/Suspected/Unknown Accused with full particulars(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण) Attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नथी करें)

1. श्री धनपत सिंह पुत्र स्व0 बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी आसलसर पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू हाल हैड कानि नं0 87 प्रभारी पुलिस चौकी बीरमसर पुलिस थाना रतनगढ जिला चूरू।

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण).....शून्य.....

9. Particulars of properties stolen (चोरी हुई सम्पति का विवरण) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करें) ....

10. Total value of property stolen (चोरी हुई सम्पति का कुल मुल्य) ..Trap Rs 13,000 .....

11. Inquest Report (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) U.D case No.(अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) if any (यदि कोई हो तो) ....

12. F.I.R. Contents (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करें)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो
चूरू

विषयः– रतनगढ थाना के हवलदार द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बधं में।

मान्यवर,

नम्र निवेदन है कि मै सुरेश कुमार पुत्र श्री सुखाराम जाट गांव सेहला तह0 रतनगढ का हूँ। दिनांक 12.08.2022 को मेरे साथ मेरे गांव के ही रामकुमार व अन्यों ने मारपीट की थी जिसका मैने दिनांक 16.08.2022 को पुलिस थाना रतनगढ में मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मुकदमे में श्री धनपत सिंह हवलदार चौकी बीरमसर जांच कर रहे हैं। दिनांक 18.08.2022 को श्री धनपत सिंह जांच करने के लिए हमारे गांव में आये थें तब धनपत सिंह ने मेरे को कहा कि राम कुमार वगैरा ने भी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रखा हैं। जिसकी जांच भी मै कर रहा हूँ। मैने श्री धनपत सिंह को हैल्प करने के लिए कहा तो धनपत जी ने मेरे को कहा कि आप मेरे को 15 हजार रूपये खर्चे के दे देना, आपके द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें में सामने वाले रामकुमार आदि का 4–5 का चालान कर दुंगा। मै आपको फोन करके बुला लुंगा तब आप आ जाना। आज मेरे पास श्री धनपत सिंह का फोन आया है कि आप अपने साथ परिवार के एक अन्य व्यक्ति को लेकर चौकी आ जाओं। श्री धनपत सिंह हवलदार मेरे से नाजायज 15 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहा हैं मैं उसे 15 हजार रूपये रिश्वत के नही देकर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी श्री धनपत सिंह से कसी प्रकार की कोई दुश्मनी या रंजीश है और ना ही हमारा कोई आपस का उधार लेन–देन बकाया है। आप आवश्यक कार्यवाही करे।

दिनांक 21.08.2022

प्रार्थी
(एसडी)
सुरेश कुमार पुत्र श्री सुखाराम
जाति जाट निवासी सेहला
तह0 रतनगढ(चूरू)
मो0न0 9351791426

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 21.08.2022 को वक्त 11.15 एएम पर श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सुखाराम जाति जाट उम्र 26 वर्ष निवासी सेहला तह0 रतनगढ जिला चूरू ने हाजिर कार्यालय होकर उक्त रिपोर्ट मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर बताया कि दिनांक 12.08.2022 को मेरे साथ गांव के ही रामकुमार व अन्यों ने मारपीट की थी जिसका मैने दिनांक 16.08.2022 को मुकदमा नम्बर 435 पुलिस थाना रतनगढ में दर्ज करवाया था। इस मुकदमे में श्री धनपत सिंह हैड कानि जांच कर रहे हैं। दिनांक 18.08.2022 को श्री धनपत सिंह जांच करने के लिए मेरे गांव में आये तथा नक्शा मौका की कार्यवाही कर मेरे को कहा कि राम कुमार वगैरा ने भी तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रखा हैं। जिसकी जांच भी मै कर रहा हूँ। मैने श्री धनपत सिंह को मुकदमें में सहयोग करने के लिए कहा तो धनपत जी ने मेरे को कहा कि आप मेरे को 15 हजार रूपये खर्चे के दे देना, आपके द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें में सामने वाले रामकुमार आदि का चालान कर दुंगा। मै आपको फोन करके बुला लुंगा तब तुम मेरे पास आ जाना। आज मेरे पास श्री धनपत सिंह का फोन आया है कि आप अपने साथ परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को लेकर चौकी आ जाओं। श्री धनपत सिंह हवलदार मेरे से नाजायज 15 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहा हैं मैं उसे 15 हजार रूपये रिश्वत के नही देकर रिश्वत लेते रंगे हाथ

पकडवाना चाहता हूँ। मेरी श्री धनपत सिंह से कसी प्रकार की कोई दुश्मनी या रंजीश है और ना ही हमारा कोई आपस का उधार लेन–देन बकाया है। परिवादी की रिपोर्ट एव मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांगने का पाया जाता है फिर भी रिश्वती मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। सत्यापन उपरान्त जैसी भी स्थिति होगी तदानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

परिवादी सुरेश कुमार को रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के सम्बधं में पुछा तो बताया कि धनपत सिंह ने मेरे को चौकी पर बुलाया है जिनसे मै अभी जाकर रिश्वत मांगने सम्बधी वार्ता कर सत्यापन करवा सकता हूँ। धनपत सिंह ने परिवार के किसी आदमी को भी मेरे साथ बुलाया है तो मै अपने ताउ कानाराम को गांव से साथ लेकर उसके पास जाउगां। इस पर परिवादी सुरेश कुमार का श्री श्रवण कुमार कानि से परिचय करवाकर परिवादी को सरकारी वॉईस रिकार्डर ऑपरेट करने की विधी समझाकर टेप रिकॉर्डर श्रवण कुमार कानि को सुपुर्द कर हिदायत दी की परिवादी सुरेश कुमार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है जिसमें श्री धनपत सिंह द्वारा जांच की जा रही हैं, हो सकता है सुरेश कुमार को वह गिरफतार कर ले इसलिए टेप रिकॉर्ड को चालु व बंद करने की विधि कानाराम को समझा कर टेप रिकॉर्डर कानाराम को सुपुर्द कर परिवादी श्री सुरेश कुमार के साथ धनपत सिंह से वार्ता करने के लिए रवाना करें। उक्त हिदायत पश्चात परिवादी सुरेश कुमार व कानि श्रवण कुमार को वक्त 12.15 पीएम पर रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के लिये बीरमसर के लिए रवाना किया गया।

वक्त 5.15 पीएम पर कानि श्रवण कुमार हाजिर कार्यालय आया व मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मै व सुरेश कुमार चूरू से रवाना होकर परिवादी के ताउ कानाराम को साथ लेकर बीरमसर हाई–वे पर पुलिस चौकी से करीब एक किमी पहले रूक कर टेप रिकॉर्ड चालु व बंद करने की विधि कानाराम व सुरेश कुमार को समझाकर टेप रिकॉर्ड चालु कर कानाराम को सुपुर्द कर दोनो को पुलिस चौकी के लिए रवाना किया गया तथा मै वहीं हाई–वे पर एक चाय की बनी दुकान पर बैठ गया। करीब सवा घण्टे बाद परिवादी सुरेश कुमार व कानाराम वापिस मेरे पास आये जिस पर मैने टेप रिकॉर्डर कानाराम से प्राप्त कर बंद किया और परिवादी ने बताया कि हम दोनो चौकी में गये जहां पर श्री धनपत जी हमें चौकी में मिला। मैने धनपत जी से अपने मुकदमें के बारे में बात की तो उसने कहा कि तेरे द्वारा दर्ज मुकदमें में उन चारों–पांचो का चालान कर दुंगा परन्तु पन्द्रह हजार रूपये खर्चे के लगेगें। मैने कहा साहब रूपये ज्यादा है तो धनपत सिंह ने कहा कि यह काम पचास हजार रूपये का है मैने कम करके ही तेरे पन्द्रह हजार बताये हैं। मेरा भी बहुत ज्यादा खर्चा होता हैं तथा धनपत सिंह ने मुझे कहा कि मैने आपको कहा था कि खर्चा लेकर आना तो मैने कहा कि अभी तो मेरे पास दो हजार रूपये हैं ये ले लो और बाकी तेरह हजार की व्यवस्था कर जल्दी ही आपको दे दुंगा। तब धनपत सिंह ने दो हजार रूपये मेरे से ले लिए और कहा कि आप अपनी पत्नी की आईडी व 13 हजार रूपये लेकर कल दस बजे तक रतनगढ मे मेरे पास आ जाना। आपके निर्देशानुसार परिवादी सुरेश कुमार को 13 हजार रूपये रिश्वती राशि की व्यवस्था कर दिनांक 22.08.2022 को सुबह जल्दी चूरू चौकी आने की कह कर परिवादी व उसके ताउ कानाराम को सेहला छोडकर हाजिर आया हूँ। कानि ने सत्यापन वार्ता का टेप रिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया जो सुरक्षित रखा गया, आईन्दा सुबह परिवादी के हाजिर आने पर सत्यापन वार्ता की फर्द तैयार की जावेगी।

दिनांक 22.08.2022 को वक्त 4.40 एएम पर परिवादी श्री सुरेश कुमार हाजिर चौकी आया तथा कानि श्रवण कुमार के द्वारा बताये गये तथ्यों को दोहराते हुऐ बताया कि रिश्वत में दिये जाने वाले 13 हजार रूपये साथ लाया हूँ। परिवादी ने पुलिस थाना रतनगढ में दर्ज करवाये गये मुकदमा संख्या 435/22 की फोटो प्रति व सतोष देवी के जन आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की जो शामिल की गई। रिश्वती मांग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 21.08.22 की टेप को परिवादी सुरेश कुमार व कानि श्रवण कुमार के समक्ष जरिये कम्प्यूटर सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता की दो सीडी तैयार कर एक सीडी को कपडे की थैली में सील्ड किया जाकर सम्बधित के हस्ताक्षर कर मार्क 'A' अंकित किया गया तथा एक सीडी अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। दोनो सीडियों को जमा मालखाना करवाया गया।

वक्त 7.45 एएम पर आयुर्वेद विभाग चूरू से दो सरकारी कर्मचारी श्री जयप्रकाश पूनियां व अशोक कुमार कम्पाउडर पूर्व से पाबंदशुदा हाजिर चोकी आये। आमदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनो गवाहान ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस पर दोनो गवाहों का परिवादी सुरेश कुमार से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी की रिपोर्ट व सत्यापन वार्ता के तथ्यों से दोनो

गवाहों को अवगत कराया गया, जिसे परिवादी ने सही होना बताया। रूबरू गवाहान परिवादी श्री सुरेश कुमार ने निर्देशानुसार रिश्वत में दिये जाने वाले तेरह हजार रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये जिनका विवरण फर्द में अंकित कर श्री श्रवण सिंह स0प्र0अ0 से फिनोफ्थ्लीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री सुरेश कुमार की बाद जामा तलाशी उपरोक्त रिश्वती राशि को परिवादी सुरेश कुमार के पहनी लॉवर की साईड की दाहिनी जेब में श्री श्रवण सिंह से रखवाई गई। रिश्वत स्वीकृति के ईशारे बाबत परवादी को हिदायत दी गई। श्री श्रवण सिंह स0प्र0अ0 के हाथ सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त घोल में हाथ धुलवाकर परिवादी व गवाहान को फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व समझाया गया। परिवादी सुरेश कुमार को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करनें के लिए कार्यालय का टेप रिकार्डर सुपुर्द किया गया। रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के लिए परिवादी को उसका मोबाईल व परिवादी की पत्नी राधा के जन आधार कार्ड की प्रति आरोपी को देने के लिए सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकसी व सुपुदर्गी नोट अलग से तैयार की गई। फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शीशी सुरक्षित रखवाई गई।

समय 08.40 एएम पर मै उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी सुरेश कुमार, दोनो गवाह श्री जयप्रकाश पूनिया, अशोक कुमार तथा चूरू चौकी का जाप्ता सर्वश्री गिरधारी सिंह स.उ.नि., ओम प्रकाश, श्रवण कुमार, राकेश कुमार, रिपेन्द्र सिंह, दीपेश कुमार, राजपाल सिंह, राजकुमार, बसंन्त सिंह कानिगण एवं प्रमोद पूनियां क0स0 के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर जरिये प्राईवेट वाहन सं0 आरजे 10 यूए 7747 मय चालक साबीर अली एवं एक अन्य प्राईवेट वाहन (निजी) से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरू से रवाना रतनगढ के लिए हुआ। श्री श्रवण सिंह स.प्र.अ.को बाद आवश्यक हिदायत चौकी पर छोडा गया।

उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी सुरेश कुमार, दोनो गवाहों व चौकी के जाप्ते सहित जरिये वाहनों के मुख्य पोस्ट ऑफिस रतनगढ के पास पंहुच आरोपी धनपत सिंह की मौजुदगी का पता लगाने के लिए परिवादी सुरेश कुमार के मोबाईल से आरोपी धनपत सिंह के मोबाईल पर स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई गई तथा वार्ता को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया तो आरोपी ने परिवादी को बताया कि आज तो मै बीदासर आ गया। आप अपनी पत्नी की आईडी लाये हो तो थाने के सामने जो चाय वाला दादा है उसको दे दो। मै शाम को 4 बजे तक वापिस आउगां। चुकिं आरोपी द्वारा सिर्फ आईडी ही चाय वाले को देने के लिए कही है रिश्वत राशि दिये जाने के बारे में नही कहा है इसलिए मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के वाहनो सहित शहर से बाहर गोपनीय स्थान पर आरोपी का पुनः फोन आने के इंतजार में मुकीम हुआ व आरोपी धनपत सिंह की मौजुदगी का पता लगाने के लिए श्री गिरधारी सिंह सउनि को मय स्टाफ प्राईवेट वाहन के बीदासर भेजा गया परन्तु बीदासर में आरोपी की मौजुदगी का पता नही चलने पर वापिस आये तथा सांय 5.00 पीएम तक आरोपी धनपत सिंह द्वारा परिवादी सुरेश कुमार से किसी प्रकार से कोई सम्पर्क नही करने पर परिवादी से पुनः आरोपी को फोन कराने से उसे संशय होने के मध्य नजर रखते हुए आईन्दा कार्यवाही करने के लिए परिवादी सुरेश कुमार को हिदायत दी कि आरोपी का फोन आने पर तुरन्त सम्पर्क करें। परिवादी सुरेश कुमार की जेब में रखी रिश्वती राशि गवाह जयप्रकाश से निकलवाकर एक कागज में लपेट कर सुरक्षित रखी गई। परिवादी सुरेश कुमार से टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर उसको बाद हिदायत मुनासिफ रूखस्त कर मै उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के रतनगढ से वक्त 6.00 पीएम पर चूरू पंहुचा। परिवादी श्री सुरेश कुमार ने जरिये मोबाईल बताया कि अभी–अभी धनपत सिंह का मेरे पास फोन आया व कहा कि कागज चायवाले को क्यों नही देकर गया। इस पर मैने बच्चे के बीमार होने व उसे अस्पताल में दिखाने में वक्त लगने का बहाना बनाकर बात बताई ते धनपत सिंह ने कहा कि तेरी पत्नी की आईडी व पैसे लेकर कल सुबह जल्दी ही बीरमसर चौकी आ जाना। इस पर परिवादी को निर्देश दिये कि वह अपने ताउ कानाराम को साथ लेकर सुबह आठ बजे बीरमसर से पहले कल्याणपुरा गांव के पास हाई–वे पर उपस्थित मिले। दोनो गवाहों को सुबह जल्दी आने की हिदायत कर रवाना किया गया। चौकी स्टाफ को सुबह जल्दी चौकी पर उपस्थित रहने के निर्देश दिये गयें। रिश्वती राशि को सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 23.08.2022 को वक्त 7.00 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय पाबंद शुदा आमदा दोनो गवाह श्री जयप्रकाश पूनिया, अशोक कुमार तथा चूरू चौकी का जाप्ता सर्वश्री गिरधारी सिंह स.उ.नि., ओम प्रकाश, श्रवण कुमार, राकेश कुमार, रिपेन्द्र सिंह, दीपेश कुमार, राजपाल सिंह, राजकुमार कानिगण एवं प्रमोद पूनियां क0स0 के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर व सुरक्षित रखी रिश्वती राशि 13,000रूपये लपेटे हुऐ कागज सहित कानि दीपेश कुमार को सुपुर्द कर जरिये प्राईवेट वाहन सं0 आरजे 10 यूए 7747 मय चालक साबीर

अली एवं एक अन्य प्राईवेट वाहन (निजी) से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरू से रवाना बीरमसर के लिए हुआ।

वक्त 8.00 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो गवाहों व चौकी के जाप्ते सहित जरिये वाहनों के बीरमसर से पहले कल्याणपुरा गांव के पास हाई–वे पर पंहुचा। जहां परिवादी सुरेश कुमार एक अन्य व्यक्ति के साथ उपस्थित मिला। परिवादी ने साथ के व्यक्ति का अपने ताउ कानाराम होना परिचय कराया। कानाराम ने दिनांक 21.08.22 को सत्यापन वार्ता स्वयं के समक्ष होना व सुरेश कुमार के बताये गये तथ्यों की ताईद की। इस पर कानि दीपेश कुमार के पास रखी रिश्वती राशि 13000 रूपये के नोटो के नम्बर पूर्व की फर्द से नम्बरो का मिलान करवाकर बाद जामा तलाशी परिवादी सुरेश कुमार के पहने लॉवर की दाहीनी जेब में कानि दीपेश कुमार से रखवाये गये तथा कानि दीपेश कुमार को चौकी चूरू के लिए रवाना किया गया। लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए सरकारी टेप रिकॉर्डर को चालु कर कानाराम को सुपुर्द कर परिवादी व कानाराम को उनकी स्वयं की मोटरसाईकिल से चौकी बीरमसर के लिए रवाना किया गया तथा कानि श्रवण कुमार को पीछे–पीछे पैदल रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक, दोनो गवाहान, कानि राजपाल सिंह, ओम प्रकाश मय वाहन के वहीं हाई–वे पर परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ तथा श्री गिरधारी सिंह सउनि मय शेष स्टाफ व वाहन के बीरमसर बस स्टैण्ड से रतनगढ की तरफ जाकर गोपनीय रूप से मुकीम होने के निर्देश देकर रवाना किया गया।

परिवादी सुरेश कुमार ने चौकी बीरमसर के सामने हाईवे पर स्थित होटल महर्षिराज से मन् उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा अपने मोबाईल से मिस कॉल वक्त 8.39 एएम पर करने पर मैं उप अधीक्षक पुलिस दोनों गवाहान मय ट्रेप दल के होटल के आगे बने टिन शैड मे कुर्सी पर बैठे परिवादी सुरेश कुमार के पास पहुंचा। परिवादी सुरेश कुमार ने अपने पास कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यहीं धनपत जी हैं जिन्होने अभी–अभी मेरे से पूर्व की वार्तानुसार यंहा बैठे बैठे रिश्वती राशि मांगी तो मैने अपनी जेब से 13000 रूपये निकाल कर इनको दिये, इन्होनें मेरे से रूपये लेकर उनमें से पांच हजार रूपये रख लिये व 8,000 रूपये मुझे वापिस दिये व कहा कि आज इतने ही रखुंगा यह बाद में दे देना। जिस पर मैंने आठ हजार रूपये वापिस लेकर अपनी जेब में रख लिये जो मेरी जेब में है। इस पर परिवादी सुरेश कुमार से रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ता का टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर परिवादी द्वारा बताये गये इस व्यक्ति को मन् उप पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर इसका परिचय पूछा तो यह व्यक्ति एकदम से घबरा गया व अपना नाम धनपत सिंह हैड कानि प्रभारी पुलिस चौकी बीरमसर पुलिस थाना रतनगढ होना बताया। धनपत सिंह को परिवादी सुरेश कुमार से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो धनपत सिंह ने बताया कि सुरेश कुमार निवासी सेहला द्वारा दिनांक 16.08.2022 को अपने साथ मारपीट व पत्नी के साथ छेडछाड का मुकदमा संख्या 435/2022 आरोपीगण रामकुमार वगैरा के विरूद्ध दर्ज करवाया था जिसमें मै अनुसंधान कर रहा हूँ। अनुसंधान में इधर–उधर जाने में मेरा खर्चा हो जाता है इसलिए गाडी के तेल–पानी के लिए हैं जो मेरी पहनी टी–शर्ट की जेब में हैं। हाजिर परिवादी सुरेश कुमार ने स्वतः बताया कि धनपत सिंह झूठ बोल रहे हैं, मैने दिनांक 16.08.2022 को रतनगढ थाने में मुकदमा नम्बर 435 दर्ज करवाया था जिसकी तफतीश के लिए धनपत जी दिनांक 18.08.2022 को हमारे गांव में मौके पर आये व नक्शा मौका बनाकर मुझे कहा कि आपके द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें में सक्त कार्यवाही कर दुंगा तथा आपके विरूद्ध भी सामने वालो ने मुदमा दर्ज करवा रखा है उसमें भी आपकी मदद करूंगा, परन्तु आपको खर्चा पानी देना पडेगा। मै परसों दिनांक 21.08.2022 को अपने ताउ कानाराम को साथ लेकर बीरमसर चौकी पर धनपत जी के पास आया व बात की तो धनपत जी ने कहा कि आपके द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमें में पांचो का चालान कर दुंगा। यह काम 50 हजार रूपये का है परन्तु आप 15 हजार रूपयें खर्चे के मुझे दे देना। जिस मैने दो हजार रूपये उसी समय धनपत जी को दिये तब उन्होने कहा कि बाकी के रूपये व तेरी पत्नी राधा की आईडी लेकर कल रतनगढ आ जाना। कल मै रतनगढ पंहुच धनपत जी को फोन किया तो कहा कि मै बीदासर आ गया हूँ तीन–चार बजे तक आउंगा। आज मै अपने ताउ कानाराम को साथ लेकर पुलिस चौकी बीरमसर पर आया तो चौकी पर धनपत जी नही थे, इसलिए मैने धनपत जी को फोन किया तो इन्होने कहा कि आईडी तो चौकी पर दे दो व चौकी सामने हॉटल पर आ जाओ मै वहीं आ रहा हूँ। मै व ताउ जी दोनो सामने होटल पर गये इतने में ही धनपत जी आ गये। हम तीनो होटल के टिनशैड के नीचे बैठ कर बात करने लगे। धनपत जी ने मेरे से पूर्व की वार्तानुसार रूपये मांगे तो मैने अपनी जेब से निकाल कर 13 हजार रूपये इनको दिये जिन्होने पांच हजार रूपये रखकर बाकी के मुझे वापिस दे दिये। यह रूपये मैने इनको मांगने पर रिश्वत के दिये हैं। परिवादी सुरेश कुमार के ताउ कानाराम ने भी परिवादी सुरेश कुमार के पूर्व में दिनांक 21.08.22 व 23.08.22 के कथनो की ताईद की। आरोपी धनपत सिंह के द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर मन् उप पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी धनपत सिंह का दायां व बांया हाथ क्रमशः श्रवण कुमार व राजपाल सिंह कानिगण ने कलाईयों से पकड लिया। सुरक्षित कार्यवाही करने के लिये आरोपी धनपत सिंह के दोनों हाथ पकड़े पकड़े पैदल ही पास ही स्थित पुलिस चौकी बीरमसर पहुंच आगे की कार्यवाही के कम में साफ कांच के दो गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक–एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट

पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा। एक गिलास के घोल में आरोपी श्री धनपत सिंह के दाहीने हाथ व दुसरे गिलास के घोल में धनपत सिंह बायें हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवनों का रंग कमशः गुलाबी व हल्का हो गया। गिलास के इन मिश्रणों को कांच की दो–दो अलग–अलग साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क कमशः आर–1, आर–2 व एल–1, एल–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। मन् उप पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी श्री धनपत सिंह के पहनी टी–शर्ट की जेब की तलाशी गवाह श्री जयप्रकाश से लिवाई गई तो जेब में पांच–पांच सौ रूपये के नोट मिले। जिनको गवाह ने गिनकर 5000 रूपये होना बताया। उक्त बरामद रिश्वती राशि के नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान दोनो गवाहो से करवाया गया तो नोटो के नम्बर वहीं पाये गये। आरोपी से बरामद रिश्वती राशि पांच हजार रूपये के नोटो का विवरण इस प्रकार है :–

1	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1QQ 754610
2	------;;----------	0EN 205244
3	------;;----------	8PS 967958
4	------;;----------	2CK 729957
5	------;;----------	8AP 298905
6	------;;----------	7GB 496438
7	------;;----------	7GB 496439
8	------;;----------	4FS 652123
9	------;;----------	5RM 150779
10	------;;----------	8BK 739250

उपरोक्त 5,000 रूपयों के नोटो को खुले कपडे में सील्ड कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। मन् उप पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर परिवादी सुरेश कमार ने पांच–पांच सौ रूपये के नोट निकाल कर पेश किये जिनको गवाह अशोक कुमार ने गिनकर 8000 रूपये होना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान दोनो गवाहो से करवाया गया तो नोटो के नम्बर वहीं पाये गये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिश्वती राशि आठ हजार रूपये के नोटो का विवरण इस प्रकार है :–

1	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2LB 613379
2	------;;----------	2GK 421491
3	------;;----------	6BK 631168
4	------;;----------	1DP 929251
5	------;;----------	8NV 899188
6	------;;----------	9AG 393919
7	------;;----------	1NM 038371
8	------;;----------	9PF 430776
9	------;;----------	7MW 839716
10	------;;----------	2TF 088842
11	------;;----------	1GC 368650
12	------;;----------	4FW 337984
13	------;;----------	1DG 589278
14	------;;----------	2PM 223915
15	------;;----------	3GE 540252
16	------;;----------	8SB 537327

उपरोक्त 8,000 रूपयों के नोटो को खुले कपडे में सील्ड कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। आरोपी श्री धनपत सिंह के लिए एक टी–शर्ट की व्यवस्था करवाकर इनके पहनी टी–शर्ट को उतरवाकर इसके सामने की जेब को उलटवाकर प्रक्रियानुसार सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त रंगहीन घोल में धुलवायी गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। आरोपी श्री धनपत सिंह की उक्त टी–शर्ट को

सील्ड कर मार्क 'T' अंकित कर वास्ते वजह सबूत जप्त कर की गई। पुलिस चौकी पर उपस्थित राजेन्द्र सिंह कानि न0 250 ने पूछने पर बताया कि आज मेरे पास दो व्यक्ति चौकी पर आये व धनपत जी के बारे में पुछा तो मैने कहा चाय पीने गये है तो एक आदमी ने मुझे सन्तोष नाम की महिला के जन आधार कार्ड की फोटो प्रति जिस पर राधा नाम पैन से लिखा है, दी व कहा कि धनपत जी को दे देना तथा दोनो बाहर चले गये। कानि राजेन्द सिंह उपरोक्त जन आधार कार्ड की प्रति पेश की जिस पर बाद अवलोकन सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे में लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती नोट अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील का नमूना सील जरिये फर्द अलग से लिया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका अलग से जरिये फर्द तैयार किया गया। आरोपी श्री धनपत सिंह को बाद आगाहा तमाम वाक्यात हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफतार किया गया। परिवादी सुरेश कुमार, उसके ताउ कानाराम व आरोपी धनपत सिंह के मध्य मध्य रिश्वत लेन–देन व दिनांक 22.08.2022 को मोबाईल पर हुई वार्ता को जरिये लैपटॉप सुन–सुन कर फर्द ट्रास्क्रिप्ट अलग से तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमा संख्या 435/2022 पुलिस थाना रतनगढ की पत्रावली की प्रमाणित प्रति जरिये फर्द अलग से जप्त की गई। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील को गवाहान के समक्ष नष्ट किया गया। मौके पर ट्रेप कार्यवाही सम्पन्न कर उप अधीक्षक पुलिस, दोनो गवाहान, परिवादी व जाप्ता तथा गिरफतार आरोपी श्री धनपत सिंह व ट्रेप कार्यवाही में जप्त सम्बंधित वजह सबूत हमराह लेकर जरिये दोनो प्राईवेट वाहन के बीरमसर से रवाना होकर चौकी चूरू पंहुचे। ट्रेप में जप्त वजह सबूत आरोपी से बरामद पांच हजार रूपये रिश्वती राशि सील्ड, आठ हजार रूपये परिवादी द्वारा प्रस्तुत राशि सील्ड, धोवन की छः सील्ड शिशियां, रिश्वत लेन–देन वार्ता की सील्ड व खुली सीडी तथा टी–शर्ट पकैट दुरस्त सउनि श्री गिरधारी सिंह को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। उक्त ट्रेप में समय–समय पर की गई कार्यवाही का पृथक से एक रनिंग नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।

अब तक की उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सुखाराम जाट निवासी सेहला तह0 रतनगढ जिला चूरू व उसकी पत्नी श्रीमती राधा के द्वारा दिनाक 16.08.2022 को पुलिस थाना रतनगढ में दर्ज करवाये गये मुकदमा संख्या 435/2022 जिसका अनुसंधान श्री धनपत सिंह हैड कानि के द्वारा किया जा रहा था। उक्त मुकदमें में आरोपीगण के विरूद्ध सक्त कार्यवाही कर चालान पेश न्यायालय करने एवं परिवादी की मदद करने की एवज में अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐ अपने वैद्य प्रारिश्रमिक से भिन्न 15 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर वक्त सत्यापन 2 हजार रूपये प्राप्त करना व दिनांक 23.08.2022 को परिवादी से चौकी बीरमसर के सामने होटल पर शेष 13 हजार रूपये प्राप्त कर उनमें से 5,000 रूपये अपने स्वयं के पास बतौर रिश्वत रख कर शेष 8,000रूपये वापिस परिवादी को आईन्दा लेने के लिए कह कर लौटा दिये जिस पर आरोपी धनपत सिंह हैड कानि नं0 87 को रंगे हाथों पकड़ा जाकर रिश्वती राशि उसके पहनी टी शर्ट की जेब से बरामद की गई। श्री धनपत सिंह हैड कानि नं0 87 प्रभारी पुलिस चौकी बीरमसर पुलिस थाना रतनगढ जिला चूरू का उक्त कृत्य धारा 7 भ्र0नि0 (संशोधन 2018) अधिनियम में प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित होना पाया जाता है।

अतः श्री धनपत सिंह हैड कानि नं0 87 प्रभारी पुलिस चौकी बीरमसर पुलिस थाना रतनगढ जिला चूरू के विरूद्ध धारा 7 भ्र0नि0 (संशोधन 2018) अधिनियम में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित की जा रही है।

(शब्बीर खान)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शबीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म, अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री धनपत सिंह, हैड कानि. नम्बर-87, प्रभारी पुलिस चौकी बीरमसर, पुलिस थाना रतनगढ, जिला चूरू के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 327/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

24.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2858-62 दिनांक 24.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला चूरू।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू।

24.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।